an>

Title: Need to allocate fund to compensate the persons on whom Maintenance of Internal Security ACT (MISA) was imposed during emergency.

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर) : सभापति जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। आपको पता है कि वÂर्ष 1975 से लेकर वÂर्ष 1977 के बीच देश में इमरजेंसी लगी थी और बहुत सारे लोगों को मीसा एक्ट के तहत जेलों में बंद किया गया था। इसमें बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गयी थी और बहुत सारे लोगों का धंधा और कारोबार बिगड़ गया था। इन सारे लोगों की केन्द्र सरकार से मांग थी कि उनकी ओर से उन्हें एक पहचान-पत्र दी जाए और उन्हें कुछ मानदेय दिया जाए। मुझे इस बात की खुशी है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखण्ड जैसे राज्यों में उन्हें 10,000 रुपए से 25,000 रुपए की राशि प्रति माह दिया जा रहा है।

मेरी सरकार से मांग है कि देश के सारे ऐसे लोगों को यह राशि मिलनी चाहिए और उनकी एक संयुक्त पुस्तिका बनाई जाए। उन दिनों में इसमें प्रिंट मीडिया के लोगों ने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया था। उनका भी नाम इसमें लिया जाए। केन्द्र सरकार की तरफ से सभी राज्यों को इसके लिए मैचिंग ग्रांट दिया जाए, क्योंकि राज्य सरकारों के ऊपर इसका बहुत ज्यादा लोड आ रहा है। इसलिए केन्द्र सरकार को इसके लिए राज्यों को देना चाहिए। यही मेरी मांग है।

HON. CHAIRPERSON :

Kunwar Pushpendra Singh Chandel,

Shri Bhairon Prasad Mishra and

Shri Sudheer Gupta are permitted to associate with the issue raised by Shri Gopal Shetty.